सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांकः–एफ2(1746)डी.ओआईटी/संस्था/13/I/13474/2013 जयपुर, दिनांकः 19.11.13

कार्यालय आदेश

विभाग द्वारा सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2013 में प्रोविजनल /अस्थाई आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्व इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 11346 दिनांक 14.09.2013 के द्वारा नियुक्ति /पदस्थापन किया गया था एवं कार्यग्रहण हेतु 45 दिवस अर्थात दिनांक 28.10.2013 तक का समय दिया गया था।

विधान सभा आम चुनाव, 2013– आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के कारण नवनियुक्त सूचना सहायकों के कार्यग्रहण समयावधि में इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 12953, दिनांक 06.11.2013 के द्वारा दिनांक 18.11.2013 तक की अभिवृद्धि की गयी।

ऐसे अभ्यर्थी जो कि पूर्व से ही राज्य सेवा मे कार्यरत है एवं उनकी विधान सभा चुनाव 2013 मे चुनाव ड्युटी लगी हुयी है/अन्य प्राप्त प्रकरणों पर विचार किया जाकर निम्नलिखित प्रभावित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण की समयावधि में विभाग के द्वारा पूर्व मे जारी आदेशों की निरंतरता मे निम्नलिखित अवधि तक की अभिवृद्धि की जाती है:–

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	कार्यग्रहण समयावधि में अभिवृद्धि की दिनांक
1	श्री संजीव बारासा	15.12.2013
2	श्री हेमन्त कुमार मौर्य	15.12.2013
3	श्री कैलाश चन्द कुमावत	15.12.2013
4	श्री अश्विनी पुरोहित	15.12.2013
5	श्री शशांक श्रीवास्तव	25.11.2013
6	श्री विक्रम सिंह	25.11.2013
7	श्री रामावतार मीणा	25.11.2013
8	श्री पवन कुमार जैन	25.11.2013
9	श्री अनिल कुमार खोईवाल	25.11.2013

उपरोक्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नियत अवधि तक इस विभाग के द्वारा जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक 11346 दिनांक 14.09.2013 के द्वारा आवंटित विभाग/ कार्यस्थल पर उपस्थिति देकर अद्योहस्ताक्षर्कर्ता को सूचित करें। नियत अवधि में कार्यग्रहण नही किये जाने पर उनकी सूचना सहायक के पद की पात्रता स्वतः निरस्त/समाप्त समझी जावेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd/-
(संजय मल्होत्रा)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सू.प्रौ. और संचार विभाग, जयपुन।
2. संबधित विभागाध्यक्ष .... ।
3. प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट) सू.प्रौ. और संचार विभाग, जयपुन।
4. संबंधित सूचना सहायक .... ।
5. निजी/रक्षित पत्रावली।

(सीताराम स्वरूप)
प्रभारी अधिकारी (संस्थापन–अराजपत्रित)